निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 101 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, मुख्य अभियंता, स्तर-II, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियंता, स्तर-II, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 14/01/2019 से 19/01/2019 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजेश कुमार सिन्हा/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सत्यवीर सिंह/लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 8/1/2018 से 12/1/2018 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 5/2015 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 1/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यो का निरीक्षण । कुल 14 अधिशासी अभियंता / पूर्ण गढ़वाल क्षेत्र ।

1. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	176.03	175.57			0.46	-
2016-2017	-	-	162.20	159.09			3.11	-
2017-2018	-	-	139.84	132.65			7.19	
2018-19 (12/18तक)	-	-	159.10	117.75			-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

2. गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

3. इकाई की श्रेणी “सी” है।

4. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) प्रधान सचिव , लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) स्तर -1 (3) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र स्तर-2, (4) मुख्य अभियंता, स्तर -2 कुमाऊँ अल्मोड़ा, अधीक्षण अभियंता (सिविल) अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक अधिशासी अभियंता, सिविल अधिशासी अभियंता (वि/या) सहायक अभियंता (सिविल) ,सहायक अभियंता वि/या, कनिष्क अभियंता सिविल, कनिष्क अभियंता वि/या, कनिष्क अभियंता प्राविधिक, मानचित्रकार, वरिष्ठ भू-

वैज्ञानिक, भू- वैज्ञानिक, सहायक भू- वैज्ञानिक, विधि अधिकारी, कनिष्क सहायक रसायन, प्रयोगशाला सहायक, सर्वेयर ।

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्क सहायक।

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में मुख्य अभियंता, स्तर-II,लोक निर्माण विभाग, पौड़ी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, स्तर-II, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर 1 – विभागीय उदासीनता एवं असम्यक नियोजन के परिणामस्वरूप विगत 12 वर्षो से रू0 1805.59 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति उपरान्त नलगांव–भटियाणा मोटर मार्ग का अपूर्ण रहना ।

धनराशि रू0 429.00 लाख की लागत से दो नम्बर लौह सेतु सहित 20 कि0मी0 लम्बे नलगांव–भटियाणा मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, गढवाल के अधीन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 थराली को शासनादेश संख्या 435/III–2/06–59 (प्रा0आ0) दिनांक 28–03–06 द्वारा प्रदान की गयी थी। जिसके सापेक्ष मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा कि0मी0 1 में 84 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु रू0 299.70 लाख की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति जून 2008 में एवं 600 मीटर लम्बाई में पहाड़ कटान, स्कपर, दीवार निर्माण के कार्य एवं सेतु के बाये ओर के एप्रोच के निर्माण से क्षतिग्रस्त कर्णप्रयाग–ग्वालदम–बैजनाथ– अल्मोडा मोटर मार्ग के सुरक्षात्मक कार्य हेतु रू0 111.00 लाख की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति नवम्बर 2013 में प्रदान की गयी थी। इस प्रकार नवम्बर 2013 तक मूल स्वीकृति के सापेक्ष कुल रू0 410.17 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त थी। मार्च 2015 में पुनः मूल स्वीकृति के सापेक्ष प्राविधानो में परिवर्तन होने तथा दरों में वृद्दि के कारण शासनादेश संख्या 577/(1)/III–(2)/15–59 (प्रा0आ0)/2005 टी0सी0 द्वारा रू0 2234.99 लाख (रू0 429.00 लाख की पूर्व स्वीकृति सहित) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। दिसम्बर 2018 तक पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष रू0 1391.91 लाख की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की गयी थी। लेखा परीक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक कि0मी0 2 में मोटर सेतु निर्माण हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर थी एवं मोटर मार्ग का क्रा0सै0 0/24 से 9/18 तक का कार्य प्रगति पर था। क्रा0सै0 9/18 से आगे 10.550 कि0मी0 का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कर लिया गया था।

इस प्रकार योजना स्वीकृति के 12 वर्षो के उपरान्त भी जहॉ एक ओर योजना अपूर्ण थी वही दूसरी ओर शासन को योजना पर रू0 1805.59 लाख का अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ेगा।

इंगित किये जाने पर मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, जिसे यथा शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही था, क्योकि योजना स्वीकृति के दो वर्ष उपरान्त रू0 299.70 लाख की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति जून 2008 में मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की गयी थी।

अतः विगत 12 वर्षो से नलगांव–भटियाणा मोटर मार्ग का निर्माण अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
73/2017-18	-	1,2,	1
11/2015-16	-	1,	-
योग	**0**	**03**	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेसित की जाएगी ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, स्तर-II, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री इ० सत्येंद्र शर्मा	मुख्य अभियंता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

   (शून्य)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य अभियंता, स्तर-II, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र- II